

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर
(विकसित भारत-जी राम जी योजना, जिला बिलासपुर, छ.ग.)

E-mail- bspnrega@gmail.com

vbgrambilaspur@gmail.com

क्रमांक / 463 / जि.पं./VB-G RAM G/स्था./2026-27

बिलासपुर, दिनांक 07 / 10 / 2026

// संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

अवर सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक ESTB/27560/2026-P&RD दिनांक 05.08.2026 एवं पत्र क्रमांक ESTB/27800/2026-P&RD दिनांक 06.08.2026 एवं आयुक्त, विकसित भारत-जी राम जी नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक /1608889/2026 वि-7/स्था./VB-G RAM G दिनांक 31.08.2026 के परिपालन में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत जिला बिलासपुर हेतु जिला स्तर पर रिक्त पद एवं उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार "संविदा" (एकमुश्त वेतन पर) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 08/10/2026 से 23/10/2026 (सायं 05:30 बजे तक) निर्धारित की जाती है।

संविदा से भरे जाने वाले पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण:-

1. रिक्त पद के संबंध में जानकारी परिशिष्ट-01 में दर्शित है।
2. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी परिशिष्ट-02 में दर्शित है।
3. नियम एवं शर्तों के संबंध में जानकारी परिशिष्ट-03 में दर्शित है।

परिशिष्ट-01

क्र.	पद का नाम	वेतन मान	पद संख्या	आरक्षण रीस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या				रिमांक
				अजजा	अजा	अनारक्षित	अपिव	
1.	कम्प्युटर प्रोग्रामर	51780/- (एकमुश्त)	01	--	--	01 (मुक्त)	--	जिला स्तर

परिशिष्ट-02

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु में)	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	कम्प्युटर प्रोग्रामर	51780/- (वेतन लेवल-12)	प्रथम श्रेणी- बीई कम्प्युटर साईंस/एमसीए/एमएससी (कम्प्युटर साईंस)/बीई (आईटी) • डाटा नेट टेक्नालॉजी/जावा/एमएसएस व यूएल/ऑरेकल के ज्ञान को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए।	70
				कम्प्युटर व प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				डाटा नेट टेक्नालॉजी/जावा/एमएसएस व यूएल/ऑरेकल के ज्ञान पर	5
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
				न्यूनतम 2 वर्ष तक का अनुभव	5
				2 वर्ष से अधिक का अनुभव	10

परिशिष्ट-03

भर्ती के नियम एवं शर्तें:-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के नाम से

8/10

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर

(विकसित भारत-जी राम जी योजना, जिला बिलासपुर, छ.ग.)

E-mail- bspnrega@gmail.com

vbgramgbilasapur@gmail.com

- निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- लिफाफे के ऊपर "पद का नाम" का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
 - विज्ञापित पद के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
 - सचिव छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक No. RULE/644/2025-GAD-3 दिनांक 16.09.2026 के अनुसार शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम/मंडल/संविदाकर्मी/नगर सैनिकों के कर्मचारियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 के स्थान पर 45 किया गया है। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई अधिसूचना क्रमांक 13-14/2009/आ.प्र. /1-3 दिनांक 21.10.2021 के अनुसार जिला बिलासपुर का आरक्षण प्रतिशत संशोधित किया गया है, के अनुसार प्रचलित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
 - आवेदन में आवेदक का नवीनतम फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।
 - शैक्षणिक योग्यता हेतु शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय के यथा स्थिति प्रमाण पत्र/उपाधि मान्य होंगे एवं कम्प्यूटर संबंधित अर्हता हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
 - अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा एवं उक्त के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
 - संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2027 तक के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष एक वर्ष के लिये संविदा सेवा निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
 - यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-9-1/2012/1-3 दिनांक 10/07/2019 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति), नियम-2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
 - संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
 - संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
 - संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
 - अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) समान पद व वेतन से संबंधित प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
 - शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
 - यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। जो अभ्यर्थी कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा उसकी अभ्यर्थता स्वमेव निरस्त हो जायेगी।
 - यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 12 वी में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
 - समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर

(विकसित भारत-जी राम जी योजना, जिला बिलासपुर, छ.ग.)

E-mail- bspurega@gmail.com

vbgramgbilaspur@gmail.com

20. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
21. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
22. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
23. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
24. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
25. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
26. उपरोक्त मांगी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर प्रक्रिया के दौरान/चयन पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
27. चयन की संपूर्ण कार्यवाही एवं प्रक्रिया, इस हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से पूर्ण की जावेगी।
28. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप एवं भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पात्र/अपात्र/दावा आपत्ति सूची/समय सारणी एवं कौशल परीक्षा में बुलाए जाने की सूचना तथा अन्य समस्त जानकारी कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर के सूचना पटल पर चस्पा एवं जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in में प्रकाशित किये जाएंगे। पृथक से किसी अभ्यर्थी को इसकी सूचना हेतु पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (VB-G RAM G) महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 07/10/2026

पृ. क्र./ 464 / जि.पं./ VB-G RAM G / स्था./ 2026
प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, VB-G RAM G विभागाध्यक्ष कार्यालय, विकास भवन तृतीय तल, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छत्तीसगढ़) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संभाग आयुक्त, संभाग-बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (VB-G RAM G) जिला बिलासपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर